- 03 -

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या – 27/2022

गोबिन्द कुमार शाह बनाम् झारखण्ड राज्य द्वारा अचंल, रामगढ़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05-07-2022	आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक गोबिन्द कुमार शाह, पे०–स्व० राधे श्याम शाह, सा०–गोला रोड़ रामगढ़, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा U/S 3 of Bihar Board's Miscellaneous Rules-1958 के तहत् दाखिल खारिज वाद संख्या–676/2021–22 में रकवा सुधार करने हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ को निदेश देने हेतु आवेदन दायर किया गया है जो नियमानुकुल नही है। अपीलार्थी चाहे तो Mainteness and Holding Act-1973 की धारा–15 के तहत् अचंल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध नियमानुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा दिये गये आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। संचित करें। लेखापित एवं संशोधित। माधवी मिश्रा 05.7.2022 उपायुक्त, रामगढ़। माधवी मिश्रा 05.7.2022 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.07.09 12:10:52 +05:30
Location: 192.168.0.48